मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

भाजपा प्यादा राजकुमार सैनी 3
रफाल कीमत का उड़ता सच 4
भ्रष्ट आईपीएस बीजेपी में 5
काटजू के गोगोई से सवाल 6
लूट कमाई बढ़ाने के लिय 8

वर्ष 34 अंक -13 फ़रीदाबाद 10-16 फ़रवरी 2019 फोन - 9999595632 ₹ 2.50

ताकि हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा बेरोक-टोक 217 एकड़ की लूट पचा सके !

गर्वनर के इशारे पर गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ प्रबंध समिति को भंग करने का नोटिस

फ़रीदाबाद (म.मो.) बदरपुर बार्डर से सटे क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष पुराना गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ किसी जमाने में वैदिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ क्रांतिकारियों की जन्म व शरणस्थली रहा है। परन्तु आज यह लूट कमाई व उसको लेकर लड़ाई झगड़ों का केन्द्र बन चुका है। इस लूट कमाई पर कब्जे को लेकर बरसों पहले, चौटालों के राज में जब यहां शमशेर सिंह एस.पी. हुआ करते थे, मठाधीश शक्तिवेश का कत्ल भी हुआ था। वही जंग आज भी जारी है।

हरियाणा बनने से पूर्व पंजाब आर्य प्रतिनिधि-सभा ने इस गुरुकुल के नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ प्रबंधन समिति का गठन करके उसे अधिकृत कर दिया था। परन्तु रोहतक में बैठी हरियाणा प्रतिनिधि सभा की गिद्ध दृष्टि इस गुरुकुल की अच्छी खासी सम्पदा पर लगी हुई थी। अपने लठैतों एवं राजनीतिक आकाओं के बल पर वे यहां लूटमार करते आ रहे हैं।

यहां लूटमार का जरिया जमीनों का सालाना किराये के हिसाब से पट्टे पर देने का है। गुरुकुल की 217 एकड़ जमीन में दर्जनों फैक्टरियां लगी हैं जो लाखों रुपया सालाना किराया गुरुकुल को देती हैं। नई कम्पनियां भी ऐसे ही पट्टेनामे के लिये यहां आती रहती हैं। इसके अलावा खनन पर रोक लगाने से पूर्व यहां से काफी मात्रा में पत्थर निकलता था जिसकी रॉयल्टी अथवा चुंगी गुरुकुल को मिलती थी। आज भी गुरुकुल की पक्की आय एक करोड़ वार्षिक से अधिक है, कच्ची आय जो दिखाई नहीं जाती वह तो और ज्यादा है।

गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ प्रबंध समिति व हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा के बीच आये दिन होने वाले संग्राम का निपटारा स्थानीय सिविल कोर्ट ने 2 मार्च 2012 को एक डिक्री जारी करके कर दिया था। इसके अनुसार कुल 11 लोगों की एक मैनेजिंग कमेटी बनाई गई जिसमें 7 सदस्य हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा के तथा 4 गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ प्रबंध समिति के हों। प्रधान, सह सचिव तथा कोषाध्यक्ष प्रतिनिधि सभा के तथा सचिव और उपप्रधान समिति के होंगे। सारी जायदाद का कब्जा दे दिया गया।

कोर्ट डिक्री के अनुसार मैनेजिंग कमेटी को दे दिया गया। कोर्ट डिक्री के अनुसार मैनेजिंग कमेटी को सारे काम बाकायदा प्रस्ताव पारित करके करने थे और प्रस्ताव वही पारित माना जायेगा जिस पर सचिव तथा उसके एक अन्य सहयोगी की स्वीकृति हो। यानी प्रतिनिधि सभा वाले सभी सात जने मिल के भी कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकते थे। जब तक समिति वाले दो सदस्यों की स्वीकृति न हो। इसी तरह बैंक से पैसा निकालने के लिए प्रधान व कोषाध्यक्ष के अलावा सचिव के हस्ताक्षर भी जरूरी रखे गये थे।

इस सबके बावजूद प्रतिनिधि सभा वाले

लोग दादागिरी करके समिति वाले चार लोगों को डराकर धक्काशाही से प्रस्ताव पास कराकर धंधा करते रहे। किराये आदि की सारी वसूलियां चैक से लेने की बजाये नकद लेकर खर्च खाते में डालने लगे। तंग आकर समिति के चार लोगों ने एक का त्यागपत्र दिलाकर 2 दिसम्बर 2017 को ओपी शर्मा वकील को मैनेजिंग कमेटी का सदस्य व सचिव बना दिया। यह बात रोहतक वालों को हजम नहीं हो पा रही थी। जबकि सचिव बनाने पर केवल समिति वालों का ही अधिकार है। बतौर सचिव ओ.पी. शर्मा के आने के बाद रोहतक वालों ने मैनेजिंग कमेटी की न तो कोई मीटिंग होने दी और न ही कोई प्रस्ताव पास होने दिया। लेकिन खुद ही गैर कानूनी ढंग से पट्टेदारी बेचने लगे।

समिति के सदस्यों एवं सचिव को पता चला कि रोहतक गिरोह ने दस हजार दस वर्ग गज जमीन का पट्टा 30 साल के लिए एक लाख बीस हजार वार्षिक पर दे दिया। जाहिर है इसके लिए जो दस्तावेज बनाये गये वे जाली थी और धोधाधड़ी से बने थे। सचिव ओपी शर्मा ने पुलिस चौकी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सब अफसरों से मिलकर शिकायत की लेकिन मुकदमा तक पुलिस ने दर्ज नहीं किया। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ढिल्लों द्वारा भी कोई कार्यवाही न किये जाने का अर्थ यही निकाला जा रहा है कि सरकार के उच्चतम स्तर से इस जालसाजी को संरक्षण प्राप्त है।

बेशक पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते मुकदमा दर्ज नहीं किया परन्तु जालसाजों ने तो यह जालसाजी हर रोज करनी है और मुकदमे आखिर कब तक दर्ज नहीं होंगे ? इसी बात से चिंतित जालसाज गिरोह ने ओपी शर्मा व उनकी समिति का ही फंद काटने के लिय रजिस्ट्रार सोसायटीज हरियाणा से एक नोटिस जारी करवाया कि क्यों न गुरुकुल इन्दप्रस्थ प्रबंध समिति का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाये ? 21.11.2018 को जारी इस नोटिस में कहा गया है कि समिति का 1998 में मर्ज हो गया था इसलिए इसका कोई वजूद ही नहीं है।

यह आरोप सरासर झूठ व निराधार है। यदि समिति का वजूद ही नही था तो 2 मार्च 2012 को कोर्ट ने डिक्री करके समिति को मैनेजिंग कमेटी में कैसे शामिल कर दिया ? समिति के चुनाव हर 3 साल पर बाकायदा होते आ रहे हैं जिनकी सूचना जिला रजिस्ट्रार सोसायटी को भेजी जाती हैं। चुनावों की मंजूरी जिला रजिस्ट्रार ने 22.12.2018 को भी कर रखी है। इन सब तथ्यों को देखते हुए हरियाणा के रजिस्ट्रार को नोटिस निहायत ही हास्यास्पद एवं बेशर्मी भरा है।

पीएम मोदी के ड्रामे और हकीकत: ईएसआई एक नमूना

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

ज्यों-ज्यों चुनाव सिर आते जा रहे हैं पीएम नरेन्द्र मोदी के छलावों और ड्रामों की रफ्तार तीव्र से तीव्रतर होती जा रही हैं। इनमें एक बड़ा छलावा चिकित्सा सुविधाों को लेकर भी है। करीब 6 माह पूर्व 50 करोड़ लोगों को यह सुविधा देने के नाम पर 'आयुष्मान भारत' का शिगूफा छोड़ा गया जिस पर सैकड़ों करोड़ बर्बाद करने के बावजूद अभी तक चिट्ठियां लिखने का काम भी पूरा नहीं हुआ। गोल्डन कार्ड और इलाज तो दूर की बात है। इसी तर्ज पर दूसरा ड्रामा एक के बाद एम्स के शिलान्यास करने का सिलसिला चल रहा है। इसके तरहत देश भर में करीब 22 एम्स खड़े करने का धोखा दिया जा रहा है। लेकिन भाजपाई नेता यह बताने को तैयार नहीं कि 1998 से 2004 के बीच तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन 5 एम्स की आधारशिला रखी थी उनका क्या हश्र हुआ ?

मोदी-भगत अपने पीएम की कर्मठता एवं तीव्र गति से काम करने की क्षमता का बखान करने से नहीं अघाते। लेकिन ईएसआईसी; कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो उनके आधीन है, उसमें मोदी सरकार ने बीते पांच वर्षों में क्या पत्थर फोड़े हैं, एक नजर जरा उस पर भी मार लें। जिन मजदूरों के वेतन का साढे छह प्रतिशत ईएसआईसी वसूल कर अपने खजाने में भरती जा रही है, देश भर में वर्ष 2014 में उनकी कुल संख्या 1,95,47,620 थी जो 5 साल यानी 2018 में बढ़कर 3,43,31,300 हो गयी। यानी 75.63 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। जाहिर है जब वेतन का साढे छह प्रतिशत देने वालों की संख्या बढ़ेगी तो उनसे ईएसआईसी को होने वाली लूट कमाई भी बढ़ेगी ही। यह कमाई जो 2014 में 11909.44 करोड़ थी 2018 में बढ़कर 23480.37 करोड़ हो गयी यानी 97.16 प्रतिशत की वृद्धि।

बीमाकृत मजदूरों की संख्या में उक्त वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप लूट कमाई में हुई वृद्धि के बाद मोदी सरकार के अधीन चलने वाला यह ईएसआई कार्पोरेशन उन मजदूरों को देता क्या है? इन मजदूरों के लिए बने कार्पोरेशन के ब्रांच यानी लोकल आफिसों की संख्या जो 2014 में 627 थी 2018 में बढ़कर 630 यानी मात्र आधा प्रतिशत की वृद्धि और इनमें भी अपर्याप्त स्टाफ के चलते मजदूरों के मामले लम्बे समय तक लटकते रहते हैं और मजदूर दिहाड़ी छोड़कर इनके चक्कर लगाते रहते हैं।

बीमा मैडिकल अफसरों की जो संख्या 2014 में 7763 थी वह 2018 में बढ़कर 7908 यानी मात्र 1.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

शेष पेज दो पर

ऐयाशियों और फिजूल खर्चियों पर कोई अंकुश नहीं

ईएसआई निगम में करीब एक लाख करोड़ का मुनाफा एकत्र होने का मतलब कतई नहीं है कि निगम अधिकारी मजदूर के पैसे को बहुत सोच समझकर कर खर्च करते हैं। कंजूसी तो केवल वहां की जाती है जहां मजदूर को कोई सुविधा मिलनी हो। लेकिन निगम अफसरों की पांच सितारा सुविधाओं पर कोई अंकुश नहीं। इनके दफ्तर किसी पंचतारा होटल से कम नहीं। दौरों पर जाते हैं तो पंचसितारा होटलों में ठहरते हैं तथा बिजनैस क्लास में वायुयान यात्रा करते हैं। करीब 2 वर्ष पूर्व कार्पोरेशन की स्पोर्टस मीट पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाते वक्त किसी को दर्द नहीं हुआ।

इसके अलावा राजनीतिक आका बेदर्दी के साथ इस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। हिमाचल की मंडी, राजस्थान के अलवर, बिहार के बीटा व कर्नाटक के गुलबर्गा में हजारों हजार करोड़ के मैडिकल कॉलेज बनाकर खड़े कर दिये जबकि वहां इलाज कराने वाले बीमाकृत मजदूरों की संख्या नगण्य है। मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल केवल वहां खोला जा सकता है जहां बीमाकृत मजदूरों की संख्या 5 लाख से अधिक हो। उक्त स्थान पर इनकी संख्या मात्र हजारों में ही है। इसलिये ये बंद पड़े हैं अथवा राज्य सरकारों को सौंप दिये गये।

केरल व कोयंबटूर जैसे स्थानों पर जहां इस तरह के अस्पतालों की सख्त जरूरत है, केवल इसलिये नहीं बनाये गये क्योंकि वहां का राजनीतिक प्रभाव कम रहा। हैदराबाद के सन्त नगर स्थित मैडिकल कॉलेज का तमाशा तो और भी गजब का है। वहां के परिसर में कॉलेज व सुपर स्पेशलिटी विभाग तो ईएसआई निगम के पास है और सामान्य अस्पताल राज्य सरकार के आधीन जैसे कि एन.एच.-3 में था। इसी परिसर में नये अस्पताल की इमारत का प्रस्ताव तो है परन्तु उसे बनाने पर किसी का ध्यान नहीं। बेशक ईएसआई निगम ने पुरानी इमारत में चल रहे अस्पताल को गत वर्ष अपने नियंत्रण में ले लिया है। परन्तु वह इमारत उतनी ही अपर्याप्त है जितनी आज एन.एच-3 की नई इमारत के मुकाबले पुरानी इमारत। लाखों करोड़ के रुपये के ढेर पर कुंडली मारे बैठी मोदी सरकार को यह सब कतई नजर नहीं आता। इसी तरह गुड़गांवा में जहां बीमाकृत श्रमिकों की संख्या करीब 20 लाख है, वहां ईएसआई निगम ने 100-100 बैड के दो छोटे-छोटे अस्पताल खोल रखे हैं और उनमें भी न तो स्टाफपर्याप्त है और न ही उपकरण। इसके चलते मरीजों को रैफर कर दिया जाता है सफदरजंग दिल्ली। विदित है कि सफ्दरजंग में तो कोई भी बिना इनके रैफरेंस भी जाने को स्वतंत्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि खजाना भरो ईएसआई का और इलाज के लिए भटकते रहें सरकारी अस्पतालों में।